न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 35/2018 (2018/00099)

वादीगण

1. घासीराम पुत्र बोदूराम के कायम मुकाम
   1/1 तिजू पत्नी घीसाराम
   1/2 धन्नाराम पुत्र घीसाराम
   1/3 कमला पुत्री घीसाराम
   1/4 दुर्गा पुत्री घीसाराम
   1/5 धापु पुत्री घीसाराम
   1/6 मुन्नी पुत्री घीसाराम
   1/7 रामपाल पुत्र घीसाराम
2. मोतीराम पुत्र लालाराम जाति कुम्हार
3. गणेशराम पुत्र लालाराम जाति कुम्हार निवासीयान जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपीराम पुत्र लालाराम जाति कुम्हार
2. मंदीर श्री सीताराम जी महाराज वाके जिलिया जरिये संरक्षक सदस्य तहसीलदार कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 9/7/18

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 स्व0 बोदूराम के वंशज वारिसान है। सजरा खानदान इस प्रकार है।

बोदूराम
1. लालाराम फौत
   1. गोपीराम
   2. मोतीराम
   3. गणेशराम
2. घासीराम

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Web Copy - Not Official

गांव जिलिया की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नं0 65 रकबा 53 बीघा 5 बीस्वा स्थित रही है जिसके नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन खसरा नं0 496 रकबा 0.05 है0 व खसरा नं0 497 रकबा 8.37 है0 जुमले 8.42 है0 कायम हुए है।

उपर्युक्त भूमि वक्त जागीर बोदूराम पुत्र नेनूरामजी के जायज रूप से कब्जा कास्त व अधिकार में रही तथा जागीर के वक्त हालस तत्कालीन जागीरदारान को जमा करवाया जाता रहा तथा जागीर पुनग्रर्हण के पश्चात निष्चित लगान सीधे सरकार में जमा करवाया जाता रहा। यानि रा0का0अधिनियम 1955 के लागू होने के वक्त उससे पूर्व उक्त भूमि बोदूरामजी जायज कृषक काबिज रहे जिन्हे बाई ऑपरेसन ऑफ ला स्वतः अधिकार प्राप्त हो गए तथा उक्त भूमि की खातेदारी बोदूराम पुत्र नेनूरामजी के नाम दर्ज होती रही तथा बोदूरामजी का स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र लालाराम, घासीराम का स्वर्गवास के बाद उनको फौतगी नामान्तकरण सं0 274 उनके पुत्र गोपीराम, मोतीराम, गणेशराम के नाम उत्तराधिकारी नामान्तकरण स्वीकृत होने पर वे बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है। इस भूमि में 1/2 हिस्सा लालाराम का रहा जो उसके वारिसान के कब्जा व अधिकार में है तथा 1/2 हिस्सा वादी घासीराम का बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है।

उपर्युक्त भूमि में वादी घासीराम ने अपने परिवार के रहवास हेतु पक्के मकानात बना रखे है। इस ढाणी के नवीन भू प्रबन्ध में नये खसरा नं0 456 रकबा 0.05 है0 अंकित हुए है। इस भूमि में घासीराम ने स्वयं के खर्चे से नया कुआ का निर्माण किया है तथा वादी घासीराम का अपने रहवासी पक्के मकानात में धरेलु विधुत कनेक्शन ले रखा है। इस ढाणी मकानात में घासीराम के परिवार सदस्य रह रहे है।

उपर्युक्त भूमि की वांछित तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारी को दिनांक 15.06.2011 को कहा तो उन्होने जिस्से अनुसार तस्दीक करने से मना कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का नाम ही दर्ज नहीं होना बताया। ताबाद वादीगण ने आवश्यक नकलात जिला अभिलेखागार से दिनांक 26.07.2011 को प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही सन 1986–90 की अवधि के बीच सम्पन्न होने से भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी वैध दस्तावेज के बिना अपनी मनमर्जी से वादीगण की पूर्व से अभिलिखित खातेदारी अंकन के समाप्त कर दिया तथा मंदिर श्री सीतारामजी महाराज सा0 देह अंकित करते हुए खातेदारी दर्ज कर दी गई जो कतई गलत व अवैध है भू प्रबन्ध अधिकारियों के पूर्व से अभिलिखित खातेदारों के अधिकार समाप्त करने व अन्य को खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार ही नही था। क्षेत्राधिकार एवं समायत अधिकार के बाहर जाकर भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा ऐसा इन्द्राज बिना अभिलिखित खातेदारान को सूचना दिए किया गयास इन्द्राज है जो स्वतः अवैध व शुन्य (नल एवं वोइड) है। जबकि प्रतिवादी नं0 2 नाम मंदिर का गांव जिलिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना अस्तित्व के प्रतिवादी नं0 1 नामक मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज करने का इन्द्राज स्वतः गलत है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विधिक नियमों के विरूद्व किया गया इन्द्राज है। वादीगण अपने पूर्वजों की इस भूमि की पुनः खातेदारी दर्ज कराने के पूर्ण हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी कूचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कूचामन सिटी (नागौर)

बिनाय दावा अभी दिनांक 15.06.2011 को पटवारी द्वारा वांछित तस्दीक करने से इंकार करने व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 2 के नाम को इन्द्राज होने की जानकारी देने पर व ताबाद नागौर से दिनांक 26.07.2011 को आवश्यक नकलात लेने पर भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा किये गए अवैध इन्द्राज की जानकारी होने पर बमुकाम जिलिया में पैदा हुआ।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है:—

ग्राम जिलिया के गत खसरा नं0 65 के नवीन खसरा नं0 496 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 497 रकबा 8.37 है0 जुमले 8.42 है0 में 1/2 हिस्सा का वादी घासीराम व 1/6 हिस्सा का वादी मोतीराम, 1/6 हिस्सा का वादी गणेशराम व 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी गोपीराम काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

नवीन खसरा नं0 496, 497 के खाते से प्रतिवादी नं0 2 का नाम हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के नाम उपर्युक्त अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु आज्ञा प्रसारित करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.10.11 को प्रतिवादी अनुपस्थित होने पर को एक पक्षीय की गई। दिनांक 28.09.15 को वकील वादी द्वारा पेश 022 आई 3 सीपीसी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर घीसाराम के कायम मुकाम बनाये गये, शामिल मिसल है। दिनांक 04.04.2016 को वकील वादी ने तरमीम शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल मिसल है। दिनांक 09.05.2016 को लोक अदालत केम्प कोर्ट जिलिया में वादीगण व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने पर वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया गया। दिनांक 21.03.2018 को वकील वादी की बहस सुनकर वाद को पुनः बरामद किया गया।

वकील वादी ने बहस सुनाई, दौराने बहस कथन किया की खुद काश्त अगर उक्त भूमि मंदिर की कभी रही हो तो भी संवत 2008 से पूर्व उक्त भूमि के खातेदार अधिकार बोदूराम पुत्र नेनूराम कानूनन प्राप्त हो गये थे और डोलीदार जागीरदार तमाम जागीर पुनर्ग्रहण अधिकनियमे के तहत स्वतः समाप्त हो गये। वादीगण ने उक्त भूमि की वांछित नकलात हल्का पटवारी से व संबंधित कार्यालय से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही सन 1986—90 की अवधि के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारीयों की बिना किसी सूचना नोटिस के बिना किसी आधार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि खसरा नं0 456, 457 रकबा 8.42 है0 को मंदिर श्री सीताराम जी महाराज वाके जिलिया के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जो कतई क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही है एवं स्वतः ही नल एण्ड बोईड है। "प्रस्तुत उक्त नजीरें पेश की जाकर Bal Krishan V/s Board of Revenue & others Rajasthan Tenancy Act, 1955 Section 15 – Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jaris Act, 1952, Sec. 9 & 10 (RRD 2000 Page No. 14 (HIGH COURT) माननीय हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा उपर्युक्त निम्न नजीरे से माफी पुनर्गहण के पश्चात मुर्ति मंदिर के कोई अधिकार नही रह जाते है। (RRD 2000 Page No. 189 (HIGH Court), (RRD 2000 Page No. 109 (HIGH Court), (RRD 2000

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Web Copy Not Official

Page No. 570 (HIGH Court), (RRD 1993 Page No. 697 (HIGH Court) जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 में प्रभाव में आयसा। उक्त अधिनियम की धारा 9 व 10 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार मंदिर मुर्ति की माफी रिज्यूम हो जाने पर राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। इस संबंध में आरएलआर 2000 (1) पेज 69 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :– Raj Land Reforms and Resumption of jagirs Act, 1952 secs. 9 & 12 – Maufi Land of Deity – if the name of tenant is recorded in revenue records as khatedar or under any caption the tenant becomes khatedar virtue of sec. 15 of Rajasthan tenancy Act even if the land belonged to Deity – in the present case the land bing cultivated by petitioner ever since year 1949 and in year 1952 he was recorded as tenant cultivating the land therefore, u/ sec. 9 of Jagirs act, he had become khatedar – thus, in view of provisions of secs. 9 & 10 of jagirs act and sec 15 of tenancy act petitioner acquired status of khatedar tenant – order of Revenue quashed. आर एल आर 2000 (1) पेज 595 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :– Rajasthan land reform and Resumuption of jagirs act, 1952, Secs. 9 & 10 – Rajashtan Tenancy Act, 1955& Sec.15- Maufi land resumed in 1963- Petitioners were in possession of land since before resumption and for more than 40 years at the time of filing suit and were paying rent in the shape of munafa – Decree of possession passed by SDO against petitioners were in possession without and authority of law – said secree upheld even by board of revenue held in view of changed position of law as laid dowan by supreme court in deepa,s Case (1996) 1 SSC 612, decree/Judgement of courts below cannot be upheld and as such set aside."

बाद बहस वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेज, प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि मारवाड टिनेन्सी एक्ट 1949 लागु होने के वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 से पूर्व तत्कालिन जागिरदार ठिकाना से वादीगण के पिता व दादा के समय से लेकर उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद वादीगण लगातार काबिज खातेदार काश्तकार है। वक्त सेटलमेंट 1986 से 1990 की अवधि में मंदिर के नाम की गई है जबकि सेलटमेंट से पूर्व वादीगण के पूर्वज खातेदार थे। विद्वान वकील की बहस व प्रस्तुत रूलिग्स व वादीगण के वाद व दस्तावेज का अवलोकन व मनन से न्यायालय का मत है कि केवल मंदिर के नाम खातेदारी होने से खातेदारों को खातेदारी से महरूम किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वादी का वाद काबिल स्वीकार हाने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 496 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 497 रकबा 8.37 है0 जुमले 8.42 है0 में 1/2 हिस्से का वादी घासीराम के कायम मुकाम को, 1/6 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादी मोतीराम को, 1/6 हिस्से का वादी गणेशराम व 1/6 हिस्से का प्रतिवादी गोपीराम को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं0 496, 497 में से प्रतिवादी नं0 2 मंदीर श्री सीताराम जी महाराज का नाम हटाया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 9/7/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)